न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1778–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–1–2013 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, धार प्रकरण कमांक 18/सी–132/2011–12.

रामाजी पिता अम्बारामजी
निवासी ग्राम आहू
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा स्टाम्प कलेक्टर धार .....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मुगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी शासन

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 5 दिसम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56–1 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, धार द्वारा पारित आदेश 17–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम आहू जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 399/2 रकबा 0.050 हेक्टेयर 6,00,000/– रूपये में कय करने हेतु विकय पत्र रूपये 37,640/– के मुद्रांक पत्र पर निष्पादित कराया गया, परन्तु विकेता

द्वारा प्रश्नाधीन भूमि विक्रय करने से इंकार करने कारण विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हो सका, अतः आवेदक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, धार के समक्ष रूपये 37,640/– के अनुपयोगी स्टाम्पों की राशि अदा करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/सी–132/2011–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 17–1–2013 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खराब हुए स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (घ) (5) के अंतर्गत नहीं आकर अधिनियम की धारा 47 (क) के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु 6 माह की समय–सीमा निर्धारित है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 47 (घ) (5) के अंतर्गत स्टाम्पों को खराब होना मानकार आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र समय–सीमा में मानते हुए स्टाम्प की राशि वापिस दिलाये जाने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन निष्पादित विक्रय पत्र में क्रेता एवं विक्रेता के फोटो लगे हैं एवं उनके हस्ताक्षर हैं, इसलिए आवेदक की ओर से निष्पादित विक्रय पत्र अधिनियम की धारा 47 (घ) (5) में आते हैं, जिसके लिए 2 माह की समय–सीमा निर्धारित है । अंत में कहा गया कि जहां विशेषतः समय–सीमा निर्धारित हो, वहा विलंब क्षमा नहीं किया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि विक्रय पत्र में विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है, और ना ही विक्रेता की फोटो लगी है, अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में पूर्ण बल है कि विक्रेता द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन करने से इंकार करने के कारण ही स्टाम्प अनुपयोगी हुए हैं । अधिनियम की धारा 49 (ख) के अंतर्गत वह स्टाम्प आते हैं जिन्हें पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित करने से इंकार कर दिया गया है, और ऐसे स्टाम्प के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की समय–सीमा निर्धारित है । अतः आवेदक द्वारा

प्रस्तुत आवेदन पत्र समय–सीमा में प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जायेगा, और अनुपयोगी हुए स्टाम्प की राशि रूपये 37,640/– वापिस किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, धार द्वारा पारित आदेश 17–1–2013 निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर आफ स्टाम्प को निर्देश दिया जाता है कि अनुपयोगी हुए स्टाम्प रू. 37,640/– की राशि आवेदक को वापिस दिलाई जाये । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर